उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- 856/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(23)-2017

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन किसी कटौतीकर्ता द्वारा किसी गैर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्यीय पूर्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर से, इस शर्त के अध्यधीन छूट प्रदान करते हैं कि कटौतीकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 24 के उपखंड (छ) अधीन अन्यथा रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए दायी नहीं है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।